

## दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ

### प्रलम्बित के लिये:

महाभियोग, राष्ट्रपति, मार्शल लॉ, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 34

### मेन्स के लिये:

भारत में मार्शल लॉ, मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल, भारत और दक्षिण कोरिया संबंध

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

15 जनवरी 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक-योल को महाभियोग के तहत गरिफ्तार किया गया। दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ की उनकी घोषणा से देश में राजनीतिक उथल-पुथल को और बढ़ावा मिला।

- यद्यपि एक दिन बाद मार्शल लॉ हटा लिया गया लेकिन जन आक्रोश, बड़े पैमाने पर वरिध प्रदर्शन और त्वरित विधायी कार्रवाई के कारण उन पर महाभियोग चलाया गया।

**नोट:** भारत के राष्ट्रपति पर [संवधान](#) का उल्लंघन करने के लिये महाभियोग लगाया जा सकता है जिसके लिये [संसद](#) के दोनों सदनों में दो-तर्हिई बहुमत की आवश्यकता होती है।

## दक्षिण कोरिया के लोकतंत्र का इतिहास

- उपनिवेशवाद और कोरिया का विभाजन (1910-1945):**
  - कोरिया ने वर्ष 1910 से 1945 तक जापान के अधीन कुर औपनिवेशिक शासन का सामना किया।
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, प्रायद्वीप को सोवियत-नियंत्रित उत्तर कोरिया और अमेरिका-नियंत्रित दक्षिण कोरिया के बीच 38वें समानांतर रेखा पर दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।
- री सगिमैन की नरिंकुशता (1948-1960):** री सगिमैन, अमेरिका द्वारा समर्थित, वर्ष 1948 में दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने।
  - उनका प्रशासन नरिंकुशता और दमन से भरा हुआ था, जब तक कि अप्रैल, 1960 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण उन्हें इस्तीफा नहीं देना पड़ा।
- सैन्य शासन:** कोरिया गणराज्य की स्थापना के बाद से अब तक 16 बार मार्शल लॉ घोषित किया जा चुका है। इसे आखिरी बार वर्ष 1980 में घोषित किया गया था।
- लोकतांत्रिक परिवर्तन (1987 के बाद):** वर्ष 1987 में हुए चुनावों के परिणामस्वरूप रोह ताए-वू राष्ट्रपति बने।
  - फरवरी, 1988 तक दक्षिण कोरिया ने उदार लोकतंत्र स्थापित करने पर बल दिया।

## मार्शल लॉ में क्या शामिल है?

- मार्शल लॉ (सैन्य शासन) से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ नागरिक प्रशासन, सैन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य कानून से इतर बनाए गए अपने स्वयं के नियमों और वनियमों के अनुसार संचालित होता है।
  - इस प्रकार इसका तात्पर्य सैन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य कानून एवं प्रशासन का नलिंबित होना है।
  - यह सशस्त्र बलों पर लागू सैन्य कानून से अलग है।
- मार्शल लॉ लागू करना:** यह कानून तब लागू किया जाता है जब सरकार को व्यापक नागरिक अशांति, [प्राकृतिक आपदाओं](#) या आक्रमण के खतरों

का सामना करना पड़ता है।

- कानून के तहत नयित्रण का दायरा: जब मार्शल लॉ लागू किया जाता है तो सैन्य प्राधिकारी द्वारा सामान्य नागरिक कार्यों के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा का नयित्रण भी अपने हाथ में ले लिया जाता है।
  - इसमें स्वतंत्रता पर प्रतर्बिध, करफ्यू और कानून परवर्तन एवं सार्वजनिक व्यवस्था में सैन्य भागीदारी भी शामिल है।

## दक्षणि कोरयिा का मार्शल लॉ भारत के मार्शल लॉ से कसि प्रकार भनिन है?

- दक्षणि कोरयिा में मार्शल लॉ:
  - घोषणा के लयिे आवश्यक शर्तें: कोरयिा गणराज्य के संवधिान के अनुच्छेद 77 के अनुसार, युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या इसी तरह की राष्ट्रीय आपात सथति के दौरान, जब सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लयिे सैन्य बलों की आवश्यकता होती है, दक्षणि कोरयिा के राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ घोषति कयिा जा सकता है।
    - इससे सैन्य आवश्यकताओं से नपिटने या राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लयिे सैन्य बलों एकत्रति करने की अनुमति मिलती है।
  - शक्तयिों का दायरा: मार्शल लॉ वारंट, अभवियक्तकी स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और संघ जैसे अधिकारों के संबंध में वशिष उपाय करने की अनुमति देता है।
    - संवधिान मार्शल लॉ के तहत नयिमति न्यायकि और कार्यकारी शक्तयिों के नलिंबन या परविरतन की अनुमति प्रदान करता है।
- भारत में मार्शल लॉ:
  - अनुच्छेद 34 के वशिष में: भारत के राज्यक्षेत्र में कसि भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतर्बिध लगाने का प्रावधान है।
    - भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से लयिा गया है। हालाँकि, संवधिान में कहीं भी 'मार्शल लॉ' शब्द को प्रभिषति नहीं कयिा गया है।
    - अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से भनिन है।
- मार्शल लॉ के दौरान की गई कारवाइयों के लयिे कषतपूरति:
  - अनुच्छेद 34 संसद को कसि सरकारी करमचारी या कसि अन्य व्यक्तिको कसि ऐसे क्षेत्र में, जहाँ मार्शल लॉ लागू हो, व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा कयिे गए कसि कार्य के लयिे कषतपूरति देने का अधिकार देता है।
  - संसद ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारति कसि भी सजा, दयिे गए दंड, जव्ती के आदेश या कयिे गए अन्य कार्य को भी वैध बना सकती है।
  - संसद द्वारा पारति कषतपूरति अधनियिम को कसि भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर कसि भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- लागू करने की शर्तें:
  - संवधिान में ऐसा कोई वशिषिट प्रावधान भी नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषति करने का अधिकार देता हो।
  - मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, बगावत, वदिरोह या कानून के प्रतर्बिध कसि भी हसिक प्रतर्बिध जैसी असाधारण परसिथतियिों में लगाया जा सकता है।
- शक्तयिों का दायरा:
  - मार्शल लॉ के दौरान, सैन्य अधिकारियिों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लयिे असामान्य शक्तयिों प्रदान की जाती हैं।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मार्शल लॉ की घोषणा से [2][2][2][2] [2][2] [2][2][2][2] प्रत्यक्षीकरण रटि नलिंबति नहीं हो जाती।

## मार्शल लॉ बनाम राष्ट्रीय आपातकाल

| मार्शल लॉ  | राष्ट्रीय आपातकाल  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ इसका प्रभाव केवल मूल अधिकारों पर पड़ता है।</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावति करता है, बल्कि <b>केंद्र-राज्य संबंध</b>, केंद्र और राज्यों के बीच वधिायी शक्तयिों के वतिरण को भी प्रभावति करता है और संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है।</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ यह सरकार और साधारण कानूनी अदालतों को नलिंबति कर देता है।</li></ul>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>■ यह सरकार और साधारण कानून अदालतों को जारी रखता है।</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ यह कसि भी कारण से कानून का उल्लंघन और व्यवस्था को बहाल करने के लयिे लगाया जाता है।</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ इसे केवल तीन आधारों पर लगाया जा सकता है – युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र वदिरोह।</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ यह देश के कुछ वशिषिट क्षेत्रों में लगाया जाता है</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ इसे या तो पूरे देश में या उसके कसि भी हसिसे में लागू कयिा जाता है।</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ संवधिान में इसका कोई वशिष प्रावधान नहीं है। यह अंतरनहिति है।</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>■ संवधिान में इसके वशिषिट एवं वसितुत प्रावधान हैं। यह स्पष्ट है।</li></ul>   |

## भारत और कोरयिा गणराज्य के संबंध कैसे रहे हैं?

- राजनयकि संबंध:
  - भारत-कोरयिा गणराज्य (ROK) के बीच राजनयकि संबंध वर्ष 1973 में स्थापति हुए। साथ ही वाणजिय दूतावास संबंध वर्ष 1962 में

